प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास सहित 02 अभियोगो में हुई सजा

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 25.03.2021 को 02 प्रकरणों/वादों में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर सजा सुनायी गयी है। विवरण निम्नवत् हैः-

- **हत्या से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन कारावास -** थाना रामकोट से सम्बन्धित मु0अ0सं0 62/19 धारा 302 भादवि बनाम श्रीराम यादव पुत्र मोहन लाल यादव निवासी ग्राम भवानीपुर कालिका बक्श थाना रामकोट जनपद सीतापुर में रामकोट पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.03.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय श्रीमान जनपद न्यायाधीश सीतापुर द्वारा अभियुक्त श्रीराम उपरोक्त को आजीवन कारावास एवम् 10,000/-रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।

- **दुष्कर्म का प्रयास करने वाले अभियुक्त को हुई सजा-** थाना मिश्रिख से सम्बन्धित मु0अ0सं 43/14 धारा 376/511 भा.द.वि व 10 पाक्सो एक्ट एक्ट बनाम दिनेश उम्र 25 वर्ष पुत्र मनोहर पासी निवासी ग्राम दौलतपुर थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर में मिश्रिख पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.03.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-14 सीतापुर द्वारा अभियुक्त दिनेश उपरोक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 25,000/- रुपये आर्थिक दंड सजा सुनायी गयी।